हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

अष्टम् सत्र

मंगलवार, 31 मार्च, 2015/10 चैत्र, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV(अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: टी.एस.एम.-ए(1)-1/2012 दिनांक 17.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.03.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

   (2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **102वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 273वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **103वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 278वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के **99वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 131वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के **283वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 22वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **13वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि जिला चम्बा में एन0टी0पी0सी0 द्वारा निर्मित परियोजना चमेरा-III द्वारा किए जा रहे मक डम्पिंग से धरवाला गांव में हो रहे नुकसान पर आधारित तथा **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **37वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है।

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान:-

वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में मुद्रित कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 2)	हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 2)	हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए । वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**

दिनांक: 30 मार्च, 2015 **सचिव ।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)